कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत आवेदन–पत्र

दिनांक–...

विकास खण्ड का नाम : ....जनपद का नाम ....

1. कार्य का नाम : कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत पामारोजा / लेननग्रास / वेटिवर / बाँस / सहजन का पौधरोपण (किसी एक पर टिक करें)

2. ग्राम पंचायत का नाम : ....

3. लाभार्थी का नाम : ....

4. कार्य की माप (एकड़ में) : ....

5. गाटा संख्या : ....

6. वर्ष : ....

7. अनुमानित लागत (रू0 में) : ....

लाभार्थी / आवेदक का नाम

मो0नं0– ....

पता– ....

....

Facilitators/हस्ताक्षरकर्ता

मो0नं0–..

पता– ....

....

ग्राम सभा की खुली बैठक में पढ़कर सुनाये जाने हेतु प्रस्ताव

प्रस्तुत प्रॉक्कलन ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या..............................

श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड .... के निर्देशानुसार तैयार कराया गया है। प्रस्तावित कार्य मनरेगा की कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत पूर्ण कराया जायेगा। पामारोजा के रोपण हेतु व्यक्तिगत लाभार्थी जो कि बी0पी0एल0, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिसुधार, इंदिरा आवास, महिला प्रमुख परिवार, विकलांग परिवार, लघु एवं सीमान्त कृषकों की पात्रता श्रेणी रखते हैं। कार्य कराये जाने वाले क्षेत्रफल में लाभार्थी स्वयं अपने खेतों में काम कर सकेंगे। पामारोजा के रोपण से वर्तमान बाजार भाव के आधार कृषक की कैश–क्राप के रूप में प्रत्येक 3–4 माह में लगभग रू0 20–25 हजार प्रति एकड़ तथा वार्षिक रू0 70 से 80 हजार तक आय होगी। वर्ष में पामारोजा की 3 से 4 कटाईयॉ ली जाती है। पामारोजा की कृषि बहुवर्षीय घास के रूप मे की जाती है। इसके बीज की बिक्री कर कृषक अतिरिक्त आमदनी करते हैं। साथ ही इसमें मुख्य खर्च प्रथम वर्ष में ही होता है और इसको एक बार लगाने के बाद इससे आगामी 5–6 वर्षो तक बराबर लाभ लिया जाता है। पामारोजा की कृषि में उन्नत किस्म की पौध रोपण सामग्री का उपयोग उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के तकनीकी सहयोग से किया जायेगा। औषधीय एवं सगंध पौधों के रोपण में आर्गेनिक इनपुट का अत्यधिक महत्व है जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है। इसके अलावा उत्पाद में गुणवत्ता, जिरेनियॉल की अधिक मात्रा से अच्छा बाजार मूल्य कृषक को प्राप्त होता है। साथ ही पामारोजा की कृषि से पर्यावरण संरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए खाद के रूप में उच्च गुणवत्ता के न्यूट्रियन्ट इनपुट का प्रयोग किया जायेगा।

पामारोजा एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय संगन्धित तेल धारक फसल हैं। इसके तेल में 75 से 90 प्रतिशत तक जिरेनियॉल तत्व पाया जाता है। जिससे इसके महत्व का आभास होता है। इस घास से प्राप्त तेल को बाजार में "मेंहदी के तेल" के नाम से भी जाना जाता है। इस तेल का उपयोग मुख्यतः अगरबत्ती, सुगन्धित साबुन सुगन्धित प्रसाधन सामग्री के निर्माण तथा तम्बाकू को सुगंधित करने में होता है। गर्म तासीर के कारण इसके तेल की मालिश घुटनों तथा शरीर के अन्य जोड़ो के दर्द में किया जाता हैं। इसके साथ–साथ यह मच्छर भगाने वाले रीपेलेन्टस में भी प्रयुक्त होता है। दवाइयों मे भी इसके कई उपयोग है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पामारोजा के तेल एवं इसके अवयवों काफी अच्छी मॉग है इसकी खरीद विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा की जा रही है। इसलिए पिछले कई वर्षों से देश व प्रदेश में अग्रणी किसान पामारोजा की कृषि को बड़े पैमाने में कर लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी आय को दोगुना कर अन्य किसानों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान मे पामारोजा की कृषि के प्रति किसानों में जागरूकता का लगातार विकास हो रहा है।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, कक्ष सं0–534–535, योजना भवन, लखनऊ द्वारा परियोजना की नोडल एजेंसी के रूप में प्रदेश स्तर पर समस्त आवश्यक तकनीकी एवं विपणन समन्वय प्रदान किया जाता हैं। प्रस्तावित कार्य से जाव–कार्ड धारक स्थानीय अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होगा। पात्रता श्रेणी रखने वाले गरीब ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का जरिया मिल सकेगा, जिससे किसानों आय में बढ़ोत्तरी होगी और वह अपनी जीविका हेतु बेहतर संसाधनों को प्राप्त करेंगे। शुद्ध रूप से बोये गये क्षेत्रफल में जी0डीपी0 में कृषि का अंश बढ़ेगा। साथ ही उत्पाद के निर्यात से विदेशी मुद्रा भण्डार में बढ़ोत्तरी होगी तथा मूल्य सम्वर्धन इकाइयों द्वारा क्लस्टर एप्रोच से अधिक उत्पादन होने के कारण ग्रामीण स्तर पर ट्रेडिंग के जरिये स्वरोजगार के अवसरों में भी वढ़ोत्तरी होगी। प्रस्तावित कार्य से जाव–कार्ड धारक स्थानीय अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होगा। पारम्परिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करते हुए जन–मानस के स्वास्थ्य एवं निरोगता को बढ़ावा मिलेगा। औषधि के मामले में एक मानक गुण मैनुफैक्चरिंग एक्ट का प्रचलन सुनिश्चित हो सकेगा। शुद्ध रूप से वोये गये क्षेत्रफल में जी0डीपी0 में कृषि का अंश बढ़ेगा। साथ ही उत्पाद के निर्यात से विदेशी मुद्रा भण्डार में बढ़ोत्तरी होगी मूल्य सम्वर्धन इकाइयों द्वारा क्लस्टर एप्रोच से अधिक उत्पादन होने के कारण ग्रामीण स्तर पर ट्रेडिंग के जरिये स्वरोजगार के अवसरों में भी वढ़ोत्तरी होगी।

प्रस्तुत प्रॉक्कलन के निर्माण में मनरेगा की दरों और विशिष्टियों का प्रयोग किया गया है।

- यह परियोजना फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के सदस्य किसानों के खेत पर क्रियान्वित की जायेगी।
- मनरेगा लाभार्थी श्रेणी के अन्य किसानों (यदि कृषक उत्पादक कम्पनी का सदस्य नहीं है) पर क्रियान्वित की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी उसे मोटिवेट कर कम्पनी का शेयर होल्डर वनाते हुए विधायन तथा विपणन सम्बन्धित समस्त सहयोग प्रदान करेगी।

(पी0 एस0 ओझा)

राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक

DETAILS OF MEASUREMENT (माप का विवरण)

कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत पामारोजा का रोपण

कार्य स्थल का नाम एवं गाटा संख्या					
क्षेत्रफल (है0)	0.400				
क्र0सं0	मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यकलाप	है0	श्रमिकों की संख्या/मात्रा	माप की इकाई	श्रेणी विभाग/व्यक्तिगत
1	पौधरोपण हेतु तैयारी (One time)	0.400	10	मानव दिवस	M
2	मेड़बन्दी कार्य (One time)	0.400	16	मानव दिवस	M
3	न्यूट्रिएन्ट इनपुट डालने हेतु श्रमिक (One time)	0.400	3	मानव दिवस	M
4	क्यारियाँ एवं सिंचाई नाली निर्माण (One time)	0.400	3	मानव दिवस	M
5	पौध रोपण कार्य 60सेमी. x 60सेमी. (One time)	0.400	15	मानव दिवस	M
6	पौधरोपण सामग्री की लागत (One time)	0.400	4.5	PLANT	M
7	आर्गेनिक मैन्योर/न्यूट्रियन्ट इनपुट (One time)	0.400	3	PKT	M
8	पौध कीट एवं बीमारी सुरक्षा सामग्री (One time)	0.400	1	ML	M
9	खाद (एन0पी0के) (One time)	0.400	2	PKT	M
	व्यक्तिगत कार्यकलाप				
10	बीज शोधन सामग्री	0.400	1	PKT	I
11	सिंचाई कार्य	0.400	6	स्वयं	I
12	निराई-गुड़ाई का कार्य	0.400	15	स्वयं	I
13	पौध कीट एवं व्याधि सुरक्षा का छिड़काव	0.400	1	स्वयं	I
14	खेत से फसल को निकालना	0.400	15	स्वयं	I
15	आसवन एवं फॉरवर्डिंग	0.400	10	स्वयं	I
16	आसवन	0.400	10	स्वयं	I
17	बायोमास सुखाने हेतु श्रमिक	0.400	10	स्वयं	I
18	आसवन इकाई का किराया-5 बैच	0.400	5	BATCH	I
19	सिंचाई हेतु डीजल	0.400	30	LITRE	I
	कन्वर्जेन्स विभाग कार्यकलाप				
20	तकनीकी सपोर्ट एवं विपणन सपोर्ट				CD

<u>इकाई से आशय</u>- PLANT-पौध, PKT-पैकेट, ML- मिली लीटर, BATCH-सामग्री की एक शिफ्ट, LITRE-लीटर

<u>श्रेणी विभाग/व्यक्तिगत से आशय</u>- M-मनरेगा, I-व्यक्तिगत, CD-कन्वर्जेन्स डिपार्टमेण्ट

(डॉ० [illegible])
[illegible] / सदस्य संयोजक
[illegible] राज्य ग्राम ऊर्जा विकास बोर्ड
नियोजन विभाग उ०प्र०

बिल की मात्रा (BILL OF QUANTITY)

कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत पामारोजा का रोपण

क्र०सं०	मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यकलाप	संख्या	माप की इकाई	दर	मूल्य	श्रेणी विभाग/व्यक्तिगत
1	पौधरोपण हेतु तैयारी (One time)	25	मानव दिवस	201.00	5000.00	M
2	मेड़बन्दी कार्य (One time)	16	मानव दिवस	201.00	3216.00	M
3	न्यूट्रिएन्ट इनपुट डालने हेतु श्रमिक (One time)	3	मानव दिवस	201.00	603.00	M
4	क्यारियॉ एवं सिंचाई नाली निर्माण (One time)	3	मानव दिवस	201.00	603.00	M
5	पौध रोपण कार्य 60सेमी. x 60सेमी. (One time)	15	मानव दिवस	201.00	3015.00	M
6	पौधरोपण सामग्री की लागत (One time)	4.5	किग्रा0	2000.00	9000.00	M
7	आर्गेनिक मैन्योर/न्यूट्रिएन्ट इनपुट (One time)	3	पैकेट	500.00	1500.00	M
8	पौध कीट एवं व्याधि सुरक्षा सामग्री (One time)	1	लीटर	500.00	500.00	M
9	खाद (एन0पी0के) (One time)	2	पैकेट	1150.00	2300.00	M
			कुल योग		25737.00	
	व्यक्तिगत कार्यकलाप					
10	बीज शोधन सामग्री	1	पैकेट	200.00	200.00	I
11	सिंचाई कार्य	6	स्वयं	201.00	1206.00	I
12	निराई–गुड़ाई का कार्य	15	स्वयं	201.00	3015.00	I
13	पौध कीट एवं व्याधि सुरक्षा का छिड़काव	1	स्वयं	201.00	201.00	I
14	खेत से फसल को निकालना	15	स्वयं	201.00	3015.00	I
15	आसवन एवं फॉरवर्डिंग	10	स्वयं	201.00	2010.00	I
16	आसवन	10	स्वयं	201.00	2010.00	I
17	बायोमास सुखाने हेतु श्रमिक	10	स्वयं	201.00	2010.00	I
18	आसवन इकाई का किराया–7 बैच	5	किराया	300.00	1500.00	I
19	सिंचाई हेतु डीजल	30	लीटर	68.00	2040.00	I
			कुल योग		17207.00	
			महायोग		42944.00	
	कन्वर्जेन्स विभाग कार्यकलाप					
20	तकनीकी सपोर्ट एवं विपणन सपोर्ट					CD

श्रेणी विभाग/व्यक्तिगत से आशय– M-मनरेगा, I-व्यक्तिगत, CD-कन्वर्जेन्स डिपार्टमेण्ट

स्पष्ट करना है:

1. Category कृषि कार्य NRM Agri/Allied
   260 work में दर्ज : क्रम संख्या–129– Block Plantation of Farm Forestry Trees in fields for Individuals . कार्य की आई0डी0 (IF) में निकाली जायेगी।
2. 60 : 40% Ratio बिगड़ने पर समान्तर मृदा कार्य सम्पन्न कराएंगे।
3. एस्टीमेट मैन्युवल बनाया जायेगा, सेक्योर से नहीं बनाया जायेगा।